## No. 1/48/2019E.III/ 4-7 Dated 28 January, 2021 Periodical Increment Certificate (See Rule 272) FORM T.R. 24

यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्म 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्म 6 में दी गई तारीख से विहित कृतिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं । वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपरिश्ति, वेतन विना छुट्टी पर अनुपरिश्ति आदि की उसी / उन्हीं पद / पदों पर स्थानापन रूप से कार्य करता रहता / करते रहते यदि वह / वे छुट्टी पर नहीं जाता / जाते । अवधियां इसमें से काट ली गई है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि .......से से से काट ली गई है, उसके /उनके दौरान, वह / वे सरकारी सेवक जिस अविधि या जिन अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवक /सेवकों की दृशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके /उनके दौरान, वह / वे सरकारी सेवक

2.प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धिया उपार्जित कर चुका है/कर

चके 😤 / करेगा / करेंगे ।

			_			No S
Valarmathi	7	٠				S. Name of the Officer S/Shri
	Sub.	2			g	Whether substant ive or officiatin
(Rs. 56100-1,77,500)	Level-10	ω				Level of pay Matrix
	56,100	4				Present Basic Pay Rs.
7020	30-06-	5				Date from which present pay is drawn
1707	01-01-	6				Date of present increment
	57,800	7			•	Future Basic Pay Rs.
		000		From		Absence from duty not counting for increment
		C	>	Το		uty not counting
		=	5		From	Leave without pay and including the posts in t capacity all other kinds which he/they would n officiating in the posts.
			7 7		То	Leave without pay and in the case of those including the posts in the officiating capacity all other kinds of leave during which he/they would not have continued to officiating in the posts.

## Note:

- When the increment claimed is the first to carry a Government Servant over an efficiency bar, columns 5,6 and 7 Should be filled up in red in.
- The figure (1) or (2) should be placed against each name according as the certificate(1) or (2) applies. The explanatory memorandum should be submitted in any case in which certificate (2) applies.

SECTION OFFICER (SEEMA JUNEJA

ŗ

PAO, CWC, New Delhi.

Copy to:-

1, Superintending Engineer(c), C&SRO, CWC, Coimbatore.

Executive Engineer, SRD, CWC, Coimbatore.

Smt. K. Valarmathi, AD, O/o CE(CSRO), CWC, Coimbatore

For uploading in CWC's website.